न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०- 01, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण सं०-133 सन् 2020

राज्य प्रति सत्येन्द्र आदि।

मु०अ०सं०-36/2020

अन्तर्गत धारा-147, 148, 149, 34, 302, 427 भा०दं०सं०

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

दिनांक-06.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण उपस्थित।

वादी मुकदमा नागेन्द्र दूबे की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर Application U/S 482 No.-38793 of 2022 Nagendra Dubey Versus State of U.P. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.11.2022 की छायाप्रति को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने Application U/S 482 No.-38793 of 2022 Nagendra Dubey Versus State of U.P. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.11.2022 का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय को सत्र परीक्षण सं० 133 सन् 2020 मु०अ०सं० 36/2020 अन्तर्गत धारा- 147, 148, 149, 34, 302, 427 भा०दं०सं० थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित पत्रावली को आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर विचारण समाप्त करने हेतु निर्देशित किया है तथा यह भी निर्देश दिया है कि यदि अभियुक्तगण यदि मुकदमें को विलम्बित करने की रणनीति अपना रहे तो विचारण न्यायालय कठोर व सख्त कदम उठाने की लिए स्वतंत्र होगी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया कि सत्र परीक्षण सं० 133 सन् 2020 राज्य प्रति सत्येन्द्र सिंह आदि एवं सत्र परीक्षण सं० 151 सन् 2021 राज्य प्रति अनिरूद्ध सिंह आदि मु०अ०सं० 36/2020 अन्तर्गत धारा- 147, 148, 149, 34, 302, 427 भा०दं०सं० थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ एक ही घटनाक्रम एवं एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। न्यायहित में दोनों सत्र परीक्षण का विचारण एक साथ किया जाना आवश्यक है।

मैंने **सत्र परीक्षण सं० 133 सन् 2020 राज्य प्रति सत्येन्द्र सिंह आदि एवं सत्र परीक्षण सं० 151 सन् 2021 राज्य प्रति अनिरूद्ध सिंह आदि** आदि की दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया। दोनों पत्रावलियों के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि 04.03.2020 को समय 12.00 बजे बहदस्थान ग्राम गोंदापुर थाना महराजगंज की घटना को लेकर वादी मुकदमा नागेन्द्र दूबे द्वारा अभियुक्तगण **सचिदानन्द मिश्रा, रणविजय यादव, सतेन्द्र, विकास, मुकेश, अनिरूद्ध सिंह, वशिष्ट मिश्रा, धर्मेन्द्र, रामप्रकाश, बृजेश उर्फ मुलायम, राहुल, अवधेश, राजेश, राजधारी, दसई, रामचरन, परविन्द्र, सुरज, लालचन्द्र** के विरूद्ध थाना स्थानीय महराजगंज में दिनांक 05.03.2020 को समय 21.37 बजे मु०अ०सं० 36/2020 अन्तर्गत धारा

147, 148, 149, 34, 302, 427 भा०दं०सं० किता किया गया। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं०, पुलिस प्रपत्र, पी.एम. रिपोर्ट, नक्शा-नजरी आदि के परिशीलन करने के उपरान्त दिनांक 03.06.2020 को वाद विवेचना कर अभियुक्तगण सतेन्द्र, विकास, मुकेश, धर्मेन्द्र, राहुल, अवधेश, राजेश, राजधारी, दसई, रामचरन, परविन्द, सूरज के विरूद्ध आरोप पत्र सं० A89/20 दिनांक 03.06.2020 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 34, 302, 427 भा०दं०सं०विचारण हेतु प्रेषित किया है। शेष अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित होना बताया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2020 को संज्ञान लिया गया। शेष अभियुक्तगण बृजेश, वशिष्ठ, लालचन्द्र, रणविजय, रामप्रकाश मिश्र, सच्चिदानन्द, अनिरूद्ध के विरूद्ध पृथक-पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के उपरान्त धारा-207 दं० प्र० सं० के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ अभियुक्तगण को प्रदान की गयी तथा अभियुक्तगण **सत्येन्द्र, विकास, मुकेश, धर्मेन्द्र, राहुल, राजेश, राजधारी, दसई, रामचरन, परविन्द, सूरज, अवधेश, बृजेश, वशिष्ठ, लालचन्द्र, रणविजय, रामप्रकाश मिश्र, सच्चिदानन्द, अनिरूद्ध** से सम्बन्धित अपराध संख्या 36/20 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 34, 302, 427 भा.दं.सं. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को क्रमशः दिनाँक 13.08.2020, 05.04.2021 को सुपुर्द किया गया, जो क्रमशः सत्र वाद सं० **सत्र परीक्षण सं० 133 सन् 2020 राज्य प्रति सत्येन्द्र सिंह आदि एवं सत्र परीक्षण सं० 151 सन् 2021 राज्य प्रति अनिरूद्ध सिंह आदि** के रूप में उदभूत हुई। दोनों पत्रावलियां आरोप के स्तर पर नियत चल रही है। दोनों सत्र परीक्षणीय वादों का एक ही मुकदमा अपराध सं 36/2020 से सम्बन्धित होने के कारण तथा सम्बन्धित पत्रावलियों में एक ही गवाहों की सूंची होने के कारण सुविधा की दृष्टि से दोनों पत्रावलियों का विचारण एक साथ किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

सत्र परीक्षण सं० 133 सन् 2020 राज्य प्रति सत्येन्द्र सिंह आदि एवं सत्र परीक्षण सं० 151 सन् 2021 राज्य प्रति अनिरूद्ध सिंह आदि मुकदमा अपराध सं 36/2020 मु०अपराध सं० 147, 148, 149, 34, 302, 427 भा.दं.सं. थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ की पत्रावलियों को समेकित किया जाता है। **सत्र परीक्षण 133/2020 स्टेट बनाम सत्येन्द्र सिंह आदि लीडिंग पत्रावली होगी**। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 10.01.2023 को पेश हो। दोनों पत्रावलियों से सम्बन्धित सभी अभियुक्तगण नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

इस आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण 151 सन् 2021 राज्य प्रति अनिरूद्ध सिंह आदि की पत्रावली में रखी जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०–01, आजमगढ़।

Digitally signed by Bhagwan Dayal Bharti
Date: 2023.01.06 04:32:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court